"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 20, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-11-2009 द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर के दिनांक 30-11-2009 से 10-12-2009 तक (11 दिवस) के अर्जित अवकाश अवधि में श्री सी. एस. डेहर, अपर संचालक, भू-अभिलेख, छ. ग., रायपुर को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री संजय अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य सम्पादित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्रमांक 7965/डी-2712/21-ब/2009.— भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रं. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर मोसेस विजय प्रसाद, फूल गास्पल, न्यू लाइफ एसेम्बली ऑफ गॉड चर्च, कबीरधाम (कवर्धा) को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने हेतु, और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 7965/D-2712/21-B/2009.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant licence to (Minister of Religion) Paster Moses Vijay Prasad, Full Goespel, New Life Assembly of God Church, Kabirdham (Kawardha) for whole State of Chhattisgarh :—

1. To Solemnize Marriage; and

2. To grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians in the whole of the state of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्रमांक 7969/डी-2710/21-ब/छ. ग./2009.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शिरोमणि दास बैरागी तथा श्री बसंत कुमार शर्मा नोटरी, पत्थलगांव, जिला जशपुर, छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उक्त दोनों नोटरियों का नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/147/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को सपरिवार (पत्नी श्रीमती शालिनी रैना एवं पुत्री कु. अनुशा सहित) खंड वर्ष 2008-09 के अंतर्गत गृह नगर दिल्ली जाने हेतु दिनांक 26, 27, 30-11-2009 एवं 01, 02, 03 दिसंबर 2009 तक अर्थात् कुल 06 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 28 एवं 29 नवंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/33/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण दिनांक 03-11-2009 से 13-11-2009 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 01 एवं 02 नवंबर 2009 एवं 14-15 नवंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री आर. सी. शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री विवेकानंद, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सौंपा जाता है.

3. श्री आर. सी. शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाए अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1	एम.पी./3542	दिनांक 01-11-2009 से 31-03-2010
2	एम.पी./3825	दिनांक 01-11-2009 से 30-04-2010

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	लबेद	1.67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चितांखोल जलाशय योजना के तहत नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कल्दामार	26.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	करूमौहा जलाशय बांध लाइन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बेहरचुंआ	4.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बोकरदा जलाशय योजना के तहत डूब एवं नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बोकरदा	26.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बोकरदा जलाशय योजना के तहत डूब एवं नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	रींवाबहार	3.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चीताखोल जलाशय योजना के तहत नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-राजिम
 (ग) नगर/ग्राम-कोपरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1635	0.07
1636	0.13
1643	0.04
1644	0.07
1645	0.04
1646	0.09
1648	0.07
1649	0.01
1651	0.11
1652	0.08
1755/1	0.03
1755/2	0.03
1755/3	0.03
1758	0.05
1759	0.04
1760	0.09
1761	0.10

(1)	(2)
1789	0.08
1791	0.08
1793	0.09
1795	0.01
1796	0.10
1813	0.04
1816	0.03
1817	0.11
1818	0.02
1827	0.29
1828	0.04
1829	0.09
1830	0.03
1837/1	0.05
1837/2	0.07
1838	0.02
1855	0.02
1856	0.04
1863	0.09
1864	0.06
1865	0.07
1866	0.11
1867	0.01
1868	0.01
1869	0.02
1870	0.03
1876	0.02
3021	0.04
3033	0.08
3034	0.05
3035	0.05
3036	0.09
3047	0.01
3048	0.08
3050	0.09
3051	0.10
3052	0.01
3055	0.07
3056/1	0.07
3064	0.09
3065	0.10
3066	0.05
3067	0.05
3068	0.04
3069	0.04
योग 62	3.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - कोपरा से भेण्ड्री मार्ग निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-राजिम
(ग) नगर/ग्राम-भेण्ड्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61/1	0.06
61/2	0.06
62	0.12
63	0.13
65	0.10
66	0.04
67	0.01
68/1	0.02
72	0.04
73	0.05
74/2	0.08
75	0.05

(1)	(2)
76	0.13
239/1	0.05
239/2	0.04
239/3	0.05
239/4	0.04
239/6	0.03
239/7	0.10
240/1	0.02
241/1	0.12
241/2	0.01
247	0.03
249	0.10
250	0.01
योग 25	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-. कोपरा से भेण्ड्री मार्ग निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-मैनपाट

(ग) नगर/ग्राम-सपनादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.037 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.639
1/8	1.279
1/12	0.890
1/17	0.721
1/20	0.830
1/32	1.076
121/1	0.486
121/7	0.275
121/10	0.425
121/13	0.040
121/17	0.089
121/21	0.162
121/24	0.186
123/3	0.809
136/2	0.081
136/6	1.458
257/8	1.619
299/3	0.850
308	0.040
1/6	1.631
1/10	0.478
1/13	0.729
1/18	1.117
1/29	0.061
114	0.105
121/3	0.405
121/8	0.194
121/11	0.656
121/14	1.023
121/19	0.227
121/22	0.210
121/26	0.729
124	0.081
136/4	0.890
136/8	0.606
299/1	1.214
299/4	1.214
1/7	1.530
1/11	0.777
1/14	0.170
1/19	0.704
1/30	0.636
115	0.202
121/6	

(1)	(2)
121/9	0.486
121/12	0.166
121/16	1.019
121/20	0.223
121/23	0.186
121/27	0.749
126	1.162
136/5	0.162
297/5	0.930
299/2	1.214
301/2	1.578
योग	37.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सपनादर में बाक्साइट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-फरसगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडोंगर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
179/2	0.324
179/3	0.381
179/4	0.243
179/5	0.567
180/1	0.178
180/2	0.174
180/3	0.178
180/4	0.178
योग	2.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बड़ेडोंगर जलाशय क्रमांक-2 के अतिरिक्त डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-फरसगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जुगानीकलार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.532 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
71/9, 73, 74/1	0.130

(1)	(2)
78/2	0.132
74/4	0.049
74/2	0.061
74/6	0.028
75/1	0.020
80/1	0.041
79	0.041
78/1 ख	0.081
83	0.049
योग	0.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भण्डार सिवनी उद्वहन सिंचाई योजना नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-रावनखोदरा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.553 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10/1, 17/3	0.016
	38/5	0.198
	11	0.041
	9/2	0.004
	12/3	0.138
	13/8	0.012
	13/4	0.101
	36/2	0.061
	36/5	0.214
	39/1	0.290
	40/1	0.112
	40/2	0.162
	48/7	0.166
	46/2	0.057
	46/1	0.314
	47/2	0.222
	54/2	0.020
	54/4	0.057
	54/3	0.097
	54/8	0.057
	10/2, 16, 17/4	0.214
योग	21	2.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-पुटकापुरी, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.849 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/1	0.053
26/2	0.283
28/8	0.048
28/12	0.067
28/9	0.135
28/10	0.059
29	0.069
31/1	0.085
31/2	0.061
32/1	0.137
32/2	0.053
33/1	0.117
33/2	0.117
36	0.283
36/1	0.186
36/2	0.141
76	0.008
122/1	0.145
125	0.097
126	0.283
135/1	0.301
135/2	0.002
136	0.218
148/1	0.148
148/3	0.070
149/1	0.121
156/1	0.073
157/1	0.202
157/2	0.203
158/1	0.121
164/1	0.093
159	0.004
30/1	0.016
62/1	0.053
62/2	0.045
71/1	0.055
71/2	0.054
46/617/1	0.087
46/617/7	0.038
46/617/5	0.065
46/617/8	0.109
46/617/11	0.051
46/617/4	0.065
46/617/9	0.141
46/617/3	0.065
46/617/2	0.041
146/1	0.061
44	0.016
45	0.117
43/2	0.120
64/1	0.053
64/3	0.113
64/4	0.028
74/1	0.024
163	0.234
169	0.073
254/2	0.012
63	0.089
130/1	0.041
योग 59	5.849

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-घुघुवा, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.472 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616/3, 616/4	0.010
619	0.206
618	0.016
620	0.024
622/2	0.061
622, 688	0.024
627/3, 628/2, 629/2, 630/2, 631/3, 636/2	0.065
627/4, 628/3, 630/3, 636/3, 629/3	0.170
639/3	0.129
640/3	0.101
639/4	0.024
639/6	0.145
639/5	0.194
640/1	0.024
626/2	0.045
627/2, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 636/1	0.234
योग 16	1.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-नावापारा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.285 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
505/1	0.182
532/2	0.069
532/3	0.049
532/4	0.113
532/5	0.093
533/1	0.113
563	0.030
535/2	0.081
535/3	0.061
535/4	0.020
536	0.133
537/1	0.101
537/3	0.073
539	0.045
542	0.081
541	0.065
545/1	0.004
555/1	0.004
556/1	0.081
557/1	0.150
564	0.170
566	0.405
568	0.121
569/1	0.041
योग 24	2.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.674 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75/1	0.077
	75/2	0.045
	79	0.210
	77	0.037
	78/1	0.049
	78/2	0.065
	91/1 क	0.041
	91/1 ख	0.040
	92/1	0.032
	92/3	0.024
	93/1	0.020
	93/2	0.016
	95/1	0.008
	95/5	0.004
	95/3	0.006
योग	15	0.674

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/3, 187	0.089
462	0.210
464/8	0.049
464/9 क	0.045
466	0.125
213/2	0.145
196	0.032
197/1	0.242
197/3	0.251
197/2	0.178
199/3	0.012
229/1 ख	0.024
218/2	0.110
208/2 ख	0.121
212	0.146
473/1	0.098
218/3	0.016
218/6	0.084
452	0.202
219	0.065
228/1	0.032
228/2	0.033
230/1 ख	0.093
449/2	0.121
461	0.032

(1)	(2)
473/2	0.040
463/1	0.008
208/2 क	0.153
208/1 घ	0.024
467/3	0.178
468/1, 471/1	0.121
468/8, 471/8	0.089
231/13	0.057
231/14	0.081
464/9 ख	0.024
464/7	0.018
229/1 क	0.081
199/5	0.081
200	0.323
206/3	0.234
463/5	0.036
207/1	0.045
207/2	0.104
230/1 ग	0.020
449/1	0.101
451/2	0.024
450	0.162
474	0.130
207/1	0.090
460/1	0.130
योग 50	4.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक/4310/भू-अर्जन/05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-कटेकल्याण
- (ग) नगर/ग्राम-गाटम, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148	0.18
217	0.15
212	0.16
149	0.12
योग	0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गाटम व्यपवर्तन योजना ग्राम गाटम के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 10 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/13/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मुरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.60 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
87	0.85
88/1	0.56
88/2	0.56
90/1	0.13
90/2	0.52
91/1	0.08
91/2	0.22
92/1	0.08
92/2	0.15
92/3	0.15
93	0.16
94	0.22
95	0.20
96	0.59
97	0.12
98	1.98
780, 792	0.50
781	0.83
782	0.08
784	1.17
785	1.08
786	0.58
787	0.45
788	0.60
790	3.08
791/1	2.00
791/2	0.85
793/1	1.45
794	0.42
795	0.31
796	0.20
797/1, 798/1	0.79
797/2, 798/4	1.10
797/3, 798/5	0.93
798/2	0.23
798/3	0.50
798/6	0.50
798/7	0.23
799	0.76
800	0.10
802	0.30
803/4	0.48
योग 42	28.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फूटामुड़ा जलाशय योजना डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरबा
 (ख) तहसील-कोरबा
 (ग) नगर/ग्राम-अजगरबहार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
426	0.35
35/1 घ	0.07
35/1 ख	0.05
310	0.02
62/1 स	0.03
72	0.01
296/1	0.01
296/2	0.03
297	0.04
356	0.06
357	0.02
383/1 घ	0.14
456, 457	0.02
467/22	0.02
योग	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अजगरबहार से कछार मार्ग प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2009

प्रकरण क्र. 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-पथरिया
 (ग) नगर/ग्राम-मोहदी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	117	0.20
	118/1	0.26
	118/2	0.24
	119	0.19
योग	4	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहदा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2009

प्रकरण क्र. 5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-पथरिया
 (ग) नगर/ग्राम-लुकेऊकापा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	296	0.46
	218	0.30
	219	0.15
	220	0.20
योग	4	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहदा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-नांदल, प. ह. नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	251/2	0.08
	252	0.01
	253	0.01
	254	0.45
	255/1	0.02
	255/2	0.01
	257/2	0.02
	257/3	0.02
योग	8	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/03/अ-82/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-जेवरा (एन), प. ह. नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192	0.04
153	0.04
139/1	0.03
139/2	0.03

(1)	(2)
139/3	0.05
3	0.13
141/2	0.01
193	0.07
133/3	0.03
133/2	0.04
133/4	0.04
140	0.10
134	0.05
157	0.05
159	0.05
112	0.04
117	0.04
118/5	0.12
152	0.04
योग 19	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झाल, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
406	0.55
51	0.25
52	0.37
38	0.31
407	0.96
50	1.50
49	0.67
408/1	0.80
408/2	1.20
योग 9	6.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- साल्हेघोरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/05/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बैजलपुर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
265	0.16
266/1	0.18

(1)	(2)
267	0.13
268	0.12
269	0.14
270	0.14
271	0.27
योग 8	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोटू व्यपवर्तन योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-छीतापार, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253	0.29
303	0.79
332/1	1.79
योग 3	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीतापार जलाशय योजना के अंतर्गत प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गाडामोर, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
775/1	1.20
775/2	1.20
योग 2	2.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झाल जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भदराली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/2	0.10
27/3	0.16
27/4	0.12
299/1	0.26
299/2	0.14
299/3	0.12
299/4	0.05
299/5	0.07
401/1	0.20
401/2	0.06
401/3	0.21
401/4	0.01
401/5	0.01
401/6	0.05
401/7	0.06
401/8	0.08
401/9	0.03
401/10	0.05
401/11	0.06
401/12	0.03
401/13	0.03
401/14	0.05
401/15	0.04
401/16	0.05
401/17	0.02
401/18	0.05
401/19	0.02
401/20	0.02
401/21	0.04
401/22	0.01
401/23	0.05
401/24	0.04
401/25	0.03
401/26	0.02
401/27	0.02
401/28	0.02
401/29	0.03
401/30	0.04
योग 38	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--कटई व्यपवर्तन योजना में नहरनाली में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, संदीप बख्शी, जांच आयोग कोरबा, छत्तीसगढ़

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2009

पत्र क्र./35/संबजांआ/2009.--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-15/2009/1-7 दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्माणाधीन 1200 मेगावाट प्लान्ट की चिमनी के दिनांक 23-09-2009 को ध्वस्त होने की न्यायिक जांच हेतु एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है.

यह भी कि सामान्य प्रशासन विभाग छ. ग. रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-15/2009/1-7 दिनांक 30-10-2009 द्वारा आयोग का कार्यालय कलेक्ट्रेट कोरबा में निर्धारित किया गया है. अत: दुर्घटना से संबंधित जिस किसी आम या खास को कोई लिखित, मौखिक साक्ष्य अथवा जानकारी प्रस्तुत करना हो, तो वे अपने साक्ष्य आयोग के कार्यालय में शासकीय कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में लिखित में शपथ पत्र द्वारा हिन्दी में और

भिन्न भाषा में होने पर हिन्दी में अनुवाद कर प्रकाशन दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यदि किसी को मौखिक साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना हो तो वे विषयवस्तु एवं अपने पूर्ण पते सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं. जांच आयोग द्वारा पालन किए जाने हेतु विनियम की प्रक्रिया की अधिसूचना अलग से जारी की गई है.

आज दिनांक 7-11-2009 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

पी. एल. निहलानी,
सचिव.

परिशिष्ट

न्यायिक जांच हेतु "संदीप बख्शी जांच आयोग"

जांच आयोग द्वारा पालन किए जाने हेतु विनियम की प्रक्रिया

1. कार्यवाही हिन्दी में की जाएगी.

2. आयोग का मुख्यालय कोरबा में है और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा के कक्ष से जुड़ा होगा.

3. कमीशन का कार्यालय प्रतिदिन सुबह 10.30 से 01.30 तथा 02.00 से शाम 05.00 बजे, राज्य शासन द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़ शेष सभी कार्य दिवस रहेगा.

4. सामान्यत: आयोग अपनी बैठक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा के कक्ष में करेगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर कुछ बैठकें राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकेगी. आयोग की विभिन्न बैठकों की तिथि, समय तथा जगह की समय-समय पर अधिसूचना जारी की जाएगी.

5. चूंकि आरोप लोक अधिकार रखने वाले उत्तरवादीगण द्वारा की गई कार्यवाही अथवा त्रुटि से संबंधित है, तथा आम जनता, जो हमारी लोकतंत्र की नींव है, निर्णायक रूप में नियोक्ता भी है तथा पंच भी है, आयोग की कार्यवाहियों में अत्यंत रुचि रखते हैं, अत: यह निर्देशित किया जाता है कि आयोग की प्रत्येक प्रक्रिया आम जनता के लिए खुली रहेगी, जब तक कि आयोग किसी उद्देश्यपूर्ण कारण से कमरा में बैठना उचित ना समझे.

6. जब आयोग शपथ पर कथन मंगवाता है तो वह शपथ पत्र मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अथवा अन्य अधिकारी, जिसे विधि द्वारा शपथ दिलाने का अधिकार हो, के समक्ष प्रमाणित किया जाएगा. शपथ पत्रों को सचिव, जांच आयोग, (कलेक्ट्रेट परिसर) कोरबा (छ. ग.) को पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर सचिव आयोग को अथवा किसी अन्य अधिकारी को, जिसे आयोग के द्वारा अधिकृत किया गया हो, सौंपकर पावती प्राप्त करेंगे.

7. यदि शपथ पत्र हिन्दी भाषा में न होकर किसी अन्य भाषा में हों तो उसका हिन्दी अनुवाद, जो कि अधिवक्ता अथवा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभिप्रमाणित हो, को संलग्न करना होगा.

8. प्रत्येक शपथ-पत्र, प्रथम व्यक्ति के नाम पर कण्डिकाओं में विभाजित कर संख्यावार इस प्रकार लिखा जाएगा कि प्रत्येक विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य को अलग-अलग कंडिकाओं में रखा जाए. शपथ-पत्र में शपथकर्ता का व्यवसाय, यदि हो, तथा उसके वास्तविक निवास का विवरण होना चाहिए.

9. यदि शपथ-पत्र के किसी कथन का अंश प्राप्त जानकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो तो, उक्त जानकारी का स्रोत "प्रकट" करना होगा. शपथकर्ता अपने शपथ-पत्र के साथ उन दस्तावेजों की सूची भी संलग्न करेगा जिन पर वह विश्वास करता है. साथ ही वह साक्षियों की सूची, जिसमें उनकी संपूर्ण विवरण तथा पता हो, जिन्हें वह अपने शपथ-पत्र में किए गए कथनों के समर्थन में परीक्षण कराना चाहता हो, की सूची भी संलग्न करेगा. शपथकर्ता प्रत्येक साक्षी के नाम के समक्ष संक्षेप में उस तथ्य या तथ्यों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह साक्षी द्वारा अपने परीक्षण में अभिप्रमाणित करवाना चाहता है, तथा यह भी कि क्यों उसका मौखिक परीक्षण के बजाए उसका शपथ-पत्र पर परीक्षण पर्याप्त नहीं होगा.

10. शपथ-पत्र दाखिल करने वाले पक्षकार/व्यक्ति उसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करेंगे ताकि वह पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान की जा सके.

11. यदि शपथकर्ता शपथ पत्र में किए गए अपने स्वयं के संपूर्ण कथन या उसके किसी अंश में किसी दस्तावेज पर विश्वास करता है तो शपथ पत्र के साथ असल दस्तावेज या उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा. यदि ऐसे किसी दस्तावेज की असल शपथकर्ता के कब्जे या नियंत्रण में नहीं है तो वह उस व्यक्ति का नाम प्रकट करेगा जिसके अधिकार में वह है. यदि दस्तावेज कोई कार्यालयीन दस्तावेज है तो विभाग या अधिकारी, जिसके अधिकार या नियंत्रण में वह है, को इंगित किया जाएगा.

12. भ्रम एवं उलझन दूर रखने के लिए यथासंभव अभिकथन के प्रत्येक शीर्ष के संबंध में एक अलग शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए. विभिन्न अभिकथनों से संबंधित असमान आरोप के विषय में अनेकार्थ शपथ-पत्र की यथासंभव अवहेलना करनी चाहिए. शपथ-पत्र की शुरूआत में ऐसे अभिकथन का पृष्ठ क्रमांक संदर्भित करना चाहिए जिसके संबंध में शपथ-पत्र दाखिल किया जा रहा हो.

13. नियम 5 के अंतर्गत जारी नोटिस के जवाब में दिए गए सभी कथनों की जांच के बाद यदि कमीशन न्यायहित में आवश्यक पाता है तो शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति को मौखिक साक्ष्य देने एवं प्रतिपरीक्षण हेतु स्वयं को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा. ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत किए जा चुके शपथ पत्र को उसके मुख्य परीक्षण का भाग माना जा सकता है, यदि जांच आयोग नियम 5 (5) (ए) के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने का निर्णय लेता है तो वह पहले राज्य सरकार एवं अभिकथन अभियोजित करने वाले अन्य व्यक्ति का उत्तरवादीगण के विरुद्ध जांच की विषयवस्तु के संबंध, में अगर कोई हो तो, साक्ष्य अभिलिखित करेगा. तथापि किसी भी पक्षकार को शपथ-पत्र के किसी शपथकर्ता को मौखिक परीक्षण हेतु दबाव डालने का अधिकार नहीं होगा.

14. यदि मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जाता है तो सभी पक्षकारों एवं व्यक्तियों को प्रतिपरीक्षण की अनुमाते दी जाएगी जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (सी) में निहित है.

15. आयोग स्वविवेकानुसार, किसी भी व्यक्ति को मौखिक परीक्षण या प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाने से इंकार कर सकता है तथा उसके बजाय उन्हें प्रदत्त प्रश्नावली के माध्यम से शपथ-पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकता है.

16. प्रत्येक व्यक्ति, जो आयोग के द्वारा परीक्षण हेतु साक्षियों की जो सूची प्रस्तुत करेगा उस पर प्रत्येक साक्षी के नाम के विरुद्ध वह तथ्य उल्लेख करेगा जिस हेतु उसका मौखिक परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है और यह भी कि क्यों आयोग उस साक्ष्य को उचित रूप से शपथ-पत्र पर प्राप्त नहीं कर सकता. आयोग ऐसे किसी भी साक्षी को समन करने से इंकार कर सकता है, जिसका साक्ष्य वह अनावश्यक, असंगत पाता है या जो उसके मतानुसार देर करने या तंग करने के प्रयोजन से उद्धृत किया गया हो.

17. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य होंगे. इसी तरह शासकीय विभाग, विधिक निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल है, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियायत हेतु वैध दावा न हो, ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे.

18. साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम आयोग के समक्ष साक्ष्य अभिलेखन तथा ग्राह्यता को प्रभावित नहीं करेंगे. फिर भी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत नियम जो साक्ष्य अधिनियम के मूल सिद्धान्त को दर्शाते हैं को मार्गदर्शक के रूप में अनुसरण किया जाएगा.

19. प्रक्रिया के आगे के नियम जो कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से सुसंगत हो, आवश्यकता पड़ने पर समयानुसार विचार किया जाएगा.

20. नियम 4 (2) तथा (6), जांच आयोग नियम 1972 के अंतर्गत सचिव, आयोग को समन हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है.

21. आयोग का यह विचार है कि सभी आरोपी को एक बार में लेना या क्रमानुसार लेना न्यायपूर्ण नहीं होगा. नियम 5 (2) के अंतर्गत जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शपथ-पत्र पर आयोग सुविधाजनक समूहों में आरोपों पर कार्यवाही करेगा.

22. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर, पिटिशन शपथ-पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा जो कि आयोग के अनुसार असंगत या बेवजह आक्रामक, फूहड़ या लोक निंदनीय हों.

23. आयोग, जांच के दौरान जब भी आवश्यकता हो प्रक्रिया के नियम में कहीं भी हेरफेर करने परिवर्तन करने, मिटा देने अथवा जोड़ने के अधिकार को सुरक्षित रखता है.

आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(पी. एल. निहलानी)
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरिया (छ. ग.)

कोरिया, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 4795/पंचा./निर्वा./2009/बैकुन्ठपुर.— छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आलोक अवस्थी कलेक्टर, जिला कोरिया एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/4618/2009/18/3971 रायपुर दिनांक 4 अगस्त 2009 एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 102/पंचायत/निर्वाचन/2009 रायपुर दिनांक 11 अगस्त 2009 के अनुसार नगर पंचायत बैकुन्ठपुर में सम्मिलित किया जाकर नगरपालिका परिषद् गठित किये जाने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप विस्थापित कर एतद्द्वारा सार्वजनिक जानकारी के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं.	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरिया	बैकुन्ठपुर	1. तलवापारा	1. तलवापारा	950	06	
			2. छिन्दडांड़	299	06	
			योग	1249		
		2. [illegible]पुर-ज	1. रामपुर	1113	04	
			2. जनकपुर	579	04	
			योग	1692		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. ओड़गी	1. ओड़गी	2081	06	
			योग	2081		
		4. सागरपुर	1. सागरपुर	964	06	
			2. हर्रापारा	434	06	
			योग	1398		
		5. चेर	1. चेर	752	05	
			2. धौराटिकुरा	768	05	
			योग	1520		
		6. जामपारा	1. जामपारा	1253	05	
			योग	1253		
		7. केनापारा	1. केनापारा	1042	05	
			2. जूनापारा	490	05	
			योग	1532		
		8. कंचनपुर	1. कंचनपुर	1153	11	
			2. बसदेवपुर	243	11	
			3. खुटरापारा	412	11	
			योग	1808		
		9. खरवत	1. खरवत	2697	03	
			योग	2697		
			कुल योग	15230		

कोरिया, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 4796/पंचा./निर्वा./2009/बैकुन्ठपुर.— छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आलोक अवस्थी कलेक्टर, जिला कोरिया एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/4618/2009/18/3971 रायपुर दिनांक 4 अगस्त 2009 एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 102/पंचायत/निर्वाचन/2009 रायपुर दिनांक 11 अगस्त 2009 के अनुसार नगर पंचायत शिवपुर

चरचा में सम्मिलित किया जाकर नगरपालिका परिषद् गठित किये जाने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप विस्थापित कर एतद्द्वारा सार्वजनिक जानकारी के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं.	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरिया	बैकुन्ठपुर	1. सरडी	1. सरडी	3751	02	
			योग	3751		
		2. फुलपुर	1. फुलपुर	776	06	
			2. शंकरपुर	196		
			योग	972		
		3. बिशुनपुर	1. बिशुनपुर	1070	02	
			योग	1070		
			कुल योग	5793		

आलोक अवस्थी,
कलेक्टर.

कार्यालय, आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ. ग.)
(बी-99 मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास)

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./वि. परी./2009/769.—राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से चयनित एवं परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षाधीन सहायक संचालकों के लिए विभागीय परीक्षा भाग दो दिनांक 27-10-2009 से 31-10-2009 तक आयोजित की गई. परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित सहायक संचालक विभागीय परीक्षा भाग दो में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	रोल नंबर	सहायक संचालक का नाम
1.	401	श्री विनय कुमार ठाकुर
2.	402	डॉ. राजकुमार पटेल
3.	403	श्री अविनाश तिवारी

अजयपाल सिंह,
आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1576.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी वोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 अगस्त 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-16/2008/18 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	मस्तुरी	मल्हार	मल्हार	5738	42	

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1577.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी वोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 अगस्त 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-86/2008/18 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	बिल्हा	तिफरा	तिफरा	19541	23	

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1578.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी वोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 अगस्त 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-87/2008/18 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की

धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	बिल्हा	सिरगिट्टी	सिरगिट्टी	12520	23	

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1579.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी वोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 अगस्त 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2/2008/18 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	पथरिया	पथरिया	पथरिया	2336	32	
			लोदा पारा	427	32	
			भीमपुरी	313	32	
			लछनपुर	(विरान)	32	
			चोरभट्ठी	1006	32	
			डगनिया	(विरान)	32	

बिलासपुर, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1899.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी बोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 4 सितम्बर 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-42/18/2008 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की

धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला (1)	खण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम (4)	जनसंख्या (5)	पटवारी हल्का (6)	विशेष (7)
बिलासपुर	तखतपुर	सकरी	सकरी	8854	26	

बिलासपुर, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/पंचायत/2009/37/1900.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, सोनमणी वोरा, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारणी के स्तम्भ क्रमांक 04 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 4 सितम्बर 2008 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-38/18/2008 छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका गठन किये जाने की पुष्टि में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूं.

सारणी

जिला (1)	खण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम (4)	जनसंख्या (5)	पटवारी हल्का (6)	विशेष (7)
बिलासपुर	पथरिया	सरगांव	सरगांव	5059	46	

सोनमणी वोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/45.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को

उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	ादलपुर	बीजापुर	इ.टा.रिजर्व	इ.टा.रिजर्व	पासेवाड़ा	फरसेगढ़	247.14	3	20	**उत्तर** - इन्द्रावती नदी **पूर्व** - इन्द्रावती नदी से कक्ष क्रमांक पी 1308, पी 1307, पी 1300, पी 1298, पी 1299, पी 1224, पी 1223, पी 1222, पी 1221. **दक्षिण** - कक्ष क्र. पी 1220 से पी 1228, पी 1239, पी 1230, पी 1231, पी 1246, पी 1247, पी 1248,1254, पी 1255 कोकेरानाला तक. **पश्चिम** - इन्द्रावती नदी
					कुटरू	कुटरू	163.28	3	20	**उत्तर** - इन्द्रावती नदी **पूर्व** - इन्द्रावती नदी से कक्ष क्रमांक पी 1321, पी 1319, पी 1322, पी 1324, पी 1326, पी 1328, पी 1330, पी 1336, पी 1337, पी 1342, पी 1344, पी 1345, पी 1365, पी 1366 तक. **दक्षिण** - कक्ष क्र. पी 1367, पी 1369, पी 1371 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम -कक्ष क्र. पी 1373, पी 1374, पी 1359, पी 1358, पी 1357, पी 1356 एवं राजस्व ग्राम एवं कक्ष क्र. 1309.
					फरसेगढ़	फरसेगढ़	186.53	3	20	**उत्तर** - कक्ष क्र. पी 1217 से पी 1219, पी 1375, पी 1377, पी 1382, पी 1370, पी 1385, पी 1386 तक.
										पूर्व - कक्ष क्रमांक पी 1387, पी 1388, पी 1389, पी 1390, पी 1399, पी 1398.
										दक्षिण - कक्ष क्रमांक 62 से 59, 60, 49, 45
										पश्चिम - कक्ष क्रमांक 51 से 52, 53, 54 एवं राजस्व ग्राम तथा कक्ष क्रमांक पी 1187, पी 1186, पी 1212, पी 1214, पी 1211 तक.
					सेण्ड्रा	फरसेगढ़	153.26	3	20	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक पी 1200 कोकेरानाला होते हुये कक्ष क्र. पी 1204.
										पूर्व - कक्ष क्रमांक पी 1210, पी 1209, पी 1208, पी 1189 तक.
										दक्षिण - कक्ष क्रमांक पी 1190 से पी 1191, पी 1193, पी 1192 कक्ष क्रमांक 652, 651, 644, 650, 649, 648, 657 इन्द्रावती नदी तक.
										पश्चिम - इन्द्रावती नदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					पिल्लूर	फरसेगढ़	239.98	3	20	**उत्तर** - इन्द्रावती नदी कक्ष क्रमांक पी 1103, पी 1104, 647, 646, 645, 643 राजस्व ग्राम काकलेर तक. **पूर्व** - बड़े काकलेर ग्राम से पिल्लूर ग्राम कक्ष क्रमांक पी 1118, पी 1120, 640, 639, 638, 637, 636 तक. **दक्षिण** - कक्ष क्रमांक 636 से 635, पी 1140, पी 1141, पी 1142, पी 1143, पी 1136, पी 1131, पी 1132, पी 583, पी 584, पी 577, पी 1083, पी 1090, पी 1091, पी 1092, पी 1093, पी 1094, पी 1095, पी 1096, पी 1099, पी 1098 इन्द्रावती नदी तक. **पश्चिम** - इन्द्रावती नदी
						योग	**990.19**	**15**	**100**	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/46.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी

आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या		संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1.	सरगुजा	सरगुजा	पूर्वी सरगुजा	सेमरसोत अभ्यारण्य	बलरामपुर	बलरामपुर	157.87	4	21	**उत्तर**	बलरामपुर परिक्षेत्र की सीमा, सेन्दुर नदी के साथ गोरा वन खण्ड के मुनारा नं. 70 तक फिर गोरा और सेमरसोत खण्ड के बीच उभयनिष्ठ सीमा लाईन मुनारा नं. 344/60 नवाडीह ग्राम के पगडंडी मार्ग तक टांगरमहरी और सरनाडीह होते हुए नवाडीह के चनान नदी तक भवानीपुर ग्राम को जाते हुए पगडंडी मार्ग से जोड़ तक जो सेमरसोत खण्ड के मुनारा नं. 221 तक जाती है.
										पूर्व -	चनान नदी की ट्रिब्यूटरी जो सेमरसोत ब्लाक के मुनारा नं. 221 से आती है, सेमरसोत ब्लाक की सीमा से मुनारा नं. 164 से नाला होते हुए कक्ष क्रमांक 522 से 526, 523 से 522, 523 से 521, 523 से 517, 516 से 519 के बीच के कक्ष क्रमांक लाईन से मुनारा नं. 44/428 तक सामरी और सेमरसोत ब्लाक के कामन बाउण्ड्री से सीतारामपुर तक लहसुनपाट से जाने वाली पगडण्डी मार्ग से सांसु नदी की ट्रिब्यूटरी से लहसुनपाट अर्जुनगढ़ ब्लाक के मुनारा नं. 455 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण - राजपुर परिक्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा, मुनारा नं. 455 से लहसुनपाट ब्लाक के ब्लाक बाउंड्री से मुनारा नं. 1/427 तक सेमरसोत और लहसुनपाट अर्जुनगढ़ बलाक के कॉमन बाउंड्री लाईन से मुनारा नं. 627/420 तथा लहसुनपाट के ब्लाक बाउंड्री से मुनारा नं. 407 तक.
										पश्चिम - कोदौरा संरक्षित परिक्षेत्र की सीमा लाईन- कक्ष क्र. पी 36, 482, 470, 469, 468, 467, 501 पी 501 बी तथा ग्राम दालधोवा तक.
2.	सरगुजा	सरगुजा	पूर्वी सरगुजा	सेमरसोत अभ्यारण्य	कोदौरा	कोदौरा	133.66	5	19	**उत्तर** - बलरामपुर परिक्षेत्र क्षेत्रीय सीमा, रनहत रामपुर ब्लाक के बीच की कामन बाउंड्री लाईन, रामपुर ब्लाक के लाईन से मुनारा नं. 228 तक. बलरामपुर-प्रतापपुर परिक्षेत्र की नाला बनाती हुई कामन बाउंड्री लाईन से इसके सिरे तक. इसके बाद लुरगी ग्राम से महेशपुर पगडंडी मार्ग से दलधोवा सेन्दुर नदी तक.
										पूर्व - बलरामपुर संरक्षित परिक्षेत्र के कक्ष क्र. पी 424 बी, 503, 500, 499, 497, 496, 484, 483 एवं पी. डब्ल्यू. डी. चलगली रोड.
										दक्षिण - राजपुर परिक्षेत्र की सीमा बाउंड्री एवं सांसू नदी से नगरानाला के जंक्सन तक फिर नगरानाला से लिलोरी ग्राम तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम – लिलांटी ग्राम की पगडण्डी मार्ग से कड़ीकला ब्लाक के मुनारा नं. 105 तक फिर कड़ीकला ब्लाक बाउंड्री लाईन से मुनारा नं. तक प्रतापपुर, चलगली वनमार्ग से रामपुर ब्लाक के मुनारा नं. 314 तक.
						योग	**291.53**	**9**	**40**	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/47.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	दुर्ग	कबीरधाम	कवर्धा	भोरमदेव अभ्यारण्य	भोरमदेव	कवर्धा	160.61	4	16	**उत्तर** – मध्यप्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले की सीमा.
					चिल्फी (संरक्षित)	चिल्फी	142.41	4	17	**पूर्व** – कक्ष क्रमांक 47, 48, 54, 57, 60 की पश्चिमी सीमा ग्राम पालक, कक्ष क्रमांक 62 (पुराना नं. 62 ए) 67 की पश्चिमी सीमा ग्राम छपरी कक्ष क्र. 80, 81, 99 की पश्चिमी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण - ग्राम मंडलाकोन्हा की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 100, 319 (पुराना नं. 200) 233 (पुराना नं. 202) 234 (पुराना नं. 203) की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 103 की पूर्वी सीमा ग्राम जामुनपानी की दक्षिणी सीमा, 340 (पुराना नं. 390) 339 (पुराना नं. 388) की पूर्वी सीमा 336 (पुराना नं. 387) की उत्तरी सीमा, ग्राम झलमला कक्ष क्र. 342 (पुराना नं. 398) 123, 122, 345 (पुराना नं. 402) की उत्तरी सीमा एवं ग्राम कोरकट की सीमा.
										पश्चिम - जिला बालाघाट की सीमा एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा.
						योग	**303.02**	**8**	**33**	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/48.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ.क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य	गोमर्डा	बरमकेला	109.36	4	18	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक 967, 966, 965 की उत्तरी सीमा 965 की पश्चिमी सीमा से लात नाला तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पूर्व - ग्राम चांटीपाली की सीमा एवं ग्राम बारादावन, टिटहीपाली, परिधियापाली, करपी, जगदीशपुर ग्राम की सीमा. **दक्षिण** - महासमुन्द जिले की सीमा **पश्चिम** - लात नाला
					सारंगढ़	सारंगढ़	131.04	3	15	**उत्तर** - ग्राम रांपागुला, भैंगनार, बरपाली, सारंगढ़ एवं दानसरा की सीमा. **पूर्व** - लात नाला **दक्षिण** - महासमुन्द जिले की सीमा **पश्चिम** - आरक्षित वनखण्ड सुवरगुडा, कक्ष क्रमांक 876, 877, 878, 882, 881 की सीमा एवं सारंगढ़ क्षेत्रीय परिक्षेत्र की सीमा.
						योग	**240.40**	**7**	**33**	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/49.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी

आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	जगदलपुर	बीजापुर	उप संचालक इ.टा.रि. बीजापुर	पामेड़ अभ्यारण्य	पुजारी कांकेर	आवापल्ली	200.18	4	16	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक पी 1191, पी 1213, पी 1214, पी 1215, 1216, पी 1210, 1201, 1202. **पूर्व** - कक्ष क्रमांक पी 1195, पी 1194, 1193, 796, 797, 798, 799 तक. **दक्षिण** - कक्ष क्रमांक 801, 800, पी 1164, पी 1163, पी 1162, पी 1160 तक. **पश्चिम** - आंध्रप्रदेश की सीमा.
					धर्मारम	आवापल्ली	240.51	4	20	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक 842 से 843, 844, 845, 846, 860, 861, 862. **पूर्व** - कक्ष क्रमांक 863, 867, 868, 870, 872 तक. **दक्षिण** - कक्ष क्रमांक 873 से 874, 883, 884, 885, 887, 854, 830, 829, 813, 812, 804, 803, 802, 807. **पश्चिम** - कक्ष क्रमांक 808 से 818, 820, 8[illegible] 822, 835, 836, 837, 838, [illegible]
						योग	**440.69**	**8**	**36**	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/50.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	सरगुजा	सरगुजा	उ. सरगुजा वनमंडल	तमोर पिंगला अभ्यारण्य	खोंड़	खोंड़	आ. वन 180.499 स. वन 25.874 **योग 206.373**	6	19	**उत्तर** - मोरन नदी **पूर्व** - संरक्षित परिक्षेत्र पिंगला एवं तमोर की सीमा. **दक्षिण** - वन परिक्षेत्र घुई की सीमा **पश्चिम** - रेहण्ड नदी
					पिंगला	रमकोला	आ. वन 188.681 स. वन 1.513 **योग 190.194**	6	16	**उत्तर** - मोरन नदी **पूर्व** - बोंगा नाला एवं वन परि. घुई की सीमा **दक्षिण** - वन परिक्षेत्र घुई की सीमा **पश्चिम** - सं. परि. खोंड़ की सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					तमोर	जजावल	आ. वन 191.849 स. वन .... योग 191.849	5	18	उत्तर - संरक्षित परिक्षेत्र पिंगला एवं वन परिक्षेत्र घुई. पूर्व - वन परिक्षेत्र घुई की सीमा दक्षिण - वन परिक्षेत्र परि. घुई एवं संरक्षित परिक्षेत्र खोंड़ की सीमा.
						योग	588.416	17	53	

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/51.—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित क्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	रायपुर	उदन्ती	उदन्ती अभ्यारण्य	उत्तर उदन्ती	मैनपुर	116.42	2	10	उत्तर - तौरेंगा परिक्षेत्र एवं कुल्हाड़ीघाट परिक्षेत्र के दक्षिणी सीमा. पूर्व - उड़ीसा प्रांत की सीमा. दक्षिण - उदन्ती नदी के साथ कक्ष क्रमांक 20, 13, 03, 84, 83, 81, देवझर अमली ग्राम 68, 67, 62, 63 एवं 57 की दक्षिणी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम - तौरेंगा परिक्षेत्र की सीमा.
					दक्षिण उदन्ती	बम्हनीझोला	120.85	2	12	**उत्तर** - उदन्ती नदी के साथ कक्ष क्रमांक 21, 26, 28, 29 बम्हनीझोला ग्राम 33, 34, 82, 70, 69, 61, 59, 58, 56 की उत्तरी सीमा. **पूर्व** - उड़ीसा राज्य की सीमा **दक्षिण** - उड़ीसा राज्य एवं इंदागांव परिक्षेत्र की सीमा **पश्चिम** - तौरेंगा परिक्षेत्र की सीमा.
						योग	**237.27**	**4**	**22**	

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/138 "A".—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य/ टायगर रिजर्व का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	धमतरी	धमतरी	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व (सीतानदी अभ्यारण्य)	अरसीकन्हार	सांकरा	189.36	5	25	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक 209 के उत्तर पश्चिम [illegible] कक्ष क्रमांक 208, 205 के उत्तर [illegible] उत्तर एवं पश्चिम दिशा कक्ष क्रमांक [illegible] 201, 125, 126 के उत्तर में स्थित [illegible] वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र एवं सांकरा परिक्षेत्र की सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण - कक्ष क्रमांक 219, 218, 221, 222, 224, 157, 155, 164, 167 के दक्षिण दिशा में स्थिति रिसगांव परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा.
										पूर्व - कक्ष क्रमांक 126, 196, 195, 176, 177, 171, 167 एवं ग्राम मेचका, आमापारा की पूर्वी सीमा जो धमतरी वनमंडल के सांकरा परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा भी बनाती है.
										पश्चिम - कक्ष क्रमांक 209 के पश्चिम में स्थित सांकरा परिक्षेत्र की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 210, 211, 212, 213 के पश्चिम दिशा में स्थित सीतानदी परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 161, 160, 162, 157 की पश्चिमी सीमा रेखा पर स्थित रिसगांव परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा.
					रिसगांव	सांकरा	198.90	5	24	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक 292, 293, 295, 297, 300, 299, 228, 220, 226, 225 के उत्तर दिशा में स्थित सीतानदी एवं अरसीकन्हार परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 156, 154, 153, 165, 166 के उत्तर में स्थित अरसीकन्हार परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा.
										दक्षिण - कक्ष क्रमांक 259, 258 के दक्षिण में स्थित धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 257, 255, 254, 250, 249, 247, 246, 243, 242, 241 के दक्षिण में स्थित उड़ीसा प्रांत की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 241, 240 के पूर्व दिशा में स्थित उदन्ती वनमंडल की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 238, 154, 153, 152, 151, 150 के दक्षिण दिशा में स्थित उदन्ती वनमंडल की सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पूर्व - कक्ष क्रमांक 166, 149, 150 के पूर्व दिशा में तथा कक्ष क्रमांक 148 के उत्तर, दक्षिण, पूर्व दिशा में स्थित धमतरी वनमंडल की सांकरा परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 225, 159, 158 के पूर्व दिशा में स्थित अरसीकन्हार परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा.
										पश्चिम - कक्ष क्रमांक 292, 286, 271, 261, 259 की पश्चिमी दिशा में स्थित सीतानदी परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा.
					सीतानदी	सिहावा	179.68	5	27	**उत्तर** - कक्ष क्रमांक 324, 325, 329, 330, 331, 332, 336 के उत्तर दिशा, कक्ष क्रमांक 345, 346 की पश्चिम दिशा, कक्ष क्रमांक 347 की उत्तर पश्चिमी दिशा, कक्ष क्रमांक 348, 349 की उत्तरी दिशा, कक्ष क्रमांक 351 की उत्तर पूर्वी दिशा तथा कक्ष क्रमांक 353, 355, 356, 357 के उत्तर में स्थित धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र की सीमा रेखा.
										दक्षिण - कक्ष क्रमांक 264, 263 के दक्षिण में स्थित धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 262, 287, 291 के पूर्व दिशा में स्थित रिसगांव परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा तथा कक्ष क्रमांक 312, 294, 296, 301, 302 के दक्षिण दिशा में स्थित रिसगांव परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पूर्व - कक्ष क्रमांक 357, 356, 302 के पूर्व दिशा में स्थित अरसीकन्हार परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 263, 262, 287, 291 के पूर्व में स्थित रिसगांव परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेखा.
										पश्चिम - कक्ष क्रमांक 324 पश्चिम में स्थित बिरगुड़ी परिक्षेत्र की सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक 323, 322, 321, 289, 268, 267, 266, 265 के पश्चिम में स्थित धमतरी वनमंडल की सीमा रेखा.
						योग	**567.94**	**15**	**76**	

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

आदेश क्रमांक/व. प्रा./स्था./09/139 "A".—छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए छ. ग. राजपत्र दिनांक 6 मार्च 2009 से अधिसूचित "अचानकमार टायगर रिजर्व" के कोर क्षेत्र में स्थित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है तथा पुनर्गठन आदेश की तिथि से प्रभावित होगा :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	रा.उ./ अभ्यारण्य/ टायगर रिजर्व का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	लमनी (संरक्षित)	लमनी	160.163	6	19	**उत्तर** - मध्यप्रदेश के मंडला व बिलासपुर जिला की उभयनिष्ठ सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 297, 293, 275, 276, 277 व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										278 आमाडोब नाला के साथ अचानकमार टायगर रिजर्व एवं मरवाही वनमंडल की सीमा.
										पूर्व - अचानकमार टायगर रिजर्व मरवाही वनमंडल की सीमा माटीनाला.
										दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्र. 358, 361, 362, 351, 350, 349, 347, 346, 374, 375, 376, 386, 387, 388, 390 एवं 391 की उत्तरी सीमा.
										पश्चिम - खुडिया परिक्षेत्र व अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा व म. प्र. के मंडला एवं बिलासपुर जिला की उभयनिष्ठ सीमा.
					छपरवा	छपरवा	130.659	4	17	**उत्तर** - आरक्षित वन 345, 324, 323, 322, 321, 352 व 354 की दक्षिण सीमा एवं अचानकमार टायगर रिजर्व व मरवाही वनमंडल की उभयनिष्ठ सीमा.
										पूर्व - अचानकमार टायगर रिजर्व एवं मरवाही वनमंडल की उभयनिष्ठ सीमा.
										दक्षिण - अचानकमार टायगर रिजर्व व लोरमी परिक्षेत्र की सीमा वनग्राम अचानकमार आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 188, 209, 191, 193, 201, 200 एवं 198 की सीमा.
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 506, 237 वनग्राम छपरवा आरक्षित वन 368, 367, 369, 371, 372, 346 एवं 345 सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					सुरही	सुरही	213.843	5	26	**उत्तर** - खुड़िया एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 333, 334, 335, 336, 337, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 366 व 365 की सीमा. **पूर्व** - आरक्षित वन, कक्ष क्र. 365, 364, 234, 235, 236, 202, 198, 197, 196, 195, 153, 152 वनग्राम जल्दा आरक्षित वन कक्ष क्र. 114 एवं 113 की सीमा. **दक्षिण** - अचानकमार टायगर रिजर्व व लोरमी परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा. **पश्चिम** - मनियारी जलाशय के साथ अचानकमार टायगर रिजर्व एवं खुडिया परिक्षेत्र की सीमा.
					अचानकमार (शिवतराई)	अचानकमार	121.530	6	17	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 237, 202, 203, 207, 208, 210, 213, 215 एवं 216 की सीमा. **पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 216, 187 अचानकमार टायगर रिजर्व एवं लोरमी परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा. **दक्षिण** - अचानकमार टायगर रिजर्व व लोरमी परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा. **पश्चिम** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 548, 547, 542, 541, 517, 516, 507, 506 एवं 237 की सीमा.
	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	परिक्षेत्र अधिकारी पर्यटन मुख्यालय (शिवतराई)	-	-	-	-	अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर एवं बफर सहित छ. ग. शासन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 6 मार्च 2009 के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र 914.017 वर्ग कि.मी.
						योग	**626.195**	**21**	**79**	

एन. के. भगत,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th November 2009

No. 994/Confdl./2009/II-3-2/2002.—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2), in whose favour certificate of confirmation were issued due to non-availability of permanent posts, are hereby, allotted the date of confirmation in Lower Judicial Service as mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Ku. Ranju Rautrai	01-03-2007
2.	Shri Omprakash Singh Chauhan	01-08-2007
3.	Shri Santosh Kumar Aditya	21-11-2007
4.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari	24-11-2007
5.	Smt. Leena Agarwal	03-01-2008
6.	Shri Pankaj Kumar Jain	11-01-2008
7.	Shri Pankaj Kumar Sinha	21-01-2008
8.	Shri Harish Kumar Awasthi	21-01-2008
9.	Ku. Shraddha Shukla	21-01-2008
10.	Smt. Madhu Tiwari	21-01-2008
11.	Ku. Garima Arya	21-01-2008
12.	Shri Yashwant Kumar Sarthi	21-01-2008
13.	Shri Nratyanjay Singh Patel	21-01-2008
14.	Shri Rajendra Kumar Verma	21-01-2008
15.	Shri Manoj Kumar Prajapati	21-01-2008
16.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu	21-01-2008
17.	Ku. Sunita Sahu	21-01-2008
18.	Shri Yashwant Wasnikar	21-01-2008
19.	Smt. Kirti Lakra	21-01-2008
20.	Shri Niranjan Lal Chauhan	21-01-2008
21.	Smt. Usha Gendle	21-01-2008
22.	Smt. Swarnalata Toppo	21-01-2008
23.	Smt. Sunita Toppo	21-01-2008
24.	Shri Purushottam Singh Markam	21-01-2008
25.	Shri Mahesh Kumar Raj	21-01-2008

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.